भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *320
दिनांक 10.08.2021/ 19 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

जनगणना 2021

†*320. डॉ. शशि थरूर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्व में हुई जनगणनाओं की तुलना में वर्ष 2021 की जनगणना में कोई बदलाव होंगे अथवा किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर जैसे किसी अन्य डेटाबेस को तैयार करने के लिए वर्ष 2021 की जनगणना से प्राप्त होने वाली जानकारी का उपयोग किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनगणना के लिए जानकारी प्राप्त करने से पूर्व इसकी जानकारी प्रत्यर्थियों को दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संगृहीत जानकारी को जारी करने में अत्याधिक विलंब होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनगणना के लिए संकलित किए जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के डेटा को जारी किए जाने की संभावित तारीखें क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लो.स.ता.प्र.सं. *320

"जनगणना 2021" के संबंध में दिनांक 10 अगस्त, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *320 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जनगणना में, जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदंडों जैसेकि शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास पर डेटा एकत्र किया जाता है। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्व-गणना का प्रावधान है। आंकड़ों के संग्रह के लिए मोबाइल ऐप तथा जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और जनगणना संबंधित अन्य फील्ड गतिविधियों को अगले आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

(ख) और (ग): जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्र किए गए व्यक्तिगत आंकड़े अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। व्यक्तिगत आंकड़े का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित अन्य किसी डेटाबेस को तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना आंकड़े ही जारी किए जाते हैं।

(घ) और (ङ): तेजी से प्रोसेसिंग करने और डेटा को शीघ्र जारी करने के लिए, जनगणना के प्रश्नों को वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

****